

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

प्रधान मुख्य आयक आयुक्त, पश्चिम बंगाल व सिक्किम का कार्यालय

विज्ञापन

आईटीएटी में विभागीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से, यंग प्रोफेशनल योजना कानून और अकाउंटेंसी में युवा स्नातकों जो संबंधित ज्ञानक्षेत्र में समृद्ध हैं, की नियुक्ति की परिकल्पना करती है ऐसे संसाधन विभागीय अधिकारियों को न्यायाधिकरणों में सुनवाई के लिए दाखिल मामलों की तैयारी में सहायता करेंगे। इसके अलावा, वे प्रभावी मुकदमेबाजी प्रबंधन के लिए कर मुकदमेबाजी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनुसंधान/अध्ययन कार्य भी करेंगे।

2. आयकर विभाग निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों (वाईपी) के एक समूह की तलाश कर रहा है: -

1	पद का नाम	पेशेवर युवा
2	पदों ककी संख्या	चार
3	आयु सीमा	विज्ञापन की तिथि के अनुसार उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
4	संविदा की अवधि	एक वर्ष। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है
5	स्थान	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
6	प्रति माह पारिश्रमिक	रु.40,000/-(एकमुश्त)

7	शैक्षणिक योग्यता	<p>आवश्यक योग्यता.</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थापनाओं से कानून में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिक और/या चार्टर्ड अकाउंटेंट।</p> <p>(ii) उम्मीदवारों को 3 वर्षीय एलएलबी या 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम या एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए।</p> <p>पसंदीदा योग्यता</p> <p>(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने कराधान में अपना आर्टिकल शिप पूरा कर लिया है और कानून स्नातक/स्नातकोत्तर जो कराधान में अनुसंधान कार्य/परियोजनाओं में लगे हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>(ii) अच्छे संचार और पारस्परिक कौशल के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में कौशल रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।</p> <p>सूचीबद्ध मामलों की कागजी किताबों का अध्ययन करने, निर्धारित द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का विश्लेषण करने, विभाग के पक्ष में निर्णय का पता लगाने के लिए युवा पेशेवरों को आयकर अपीलियाँ न्यायाधिकरण में सीएसआईटी (डीआर) या सीनियर डीआर के कार्यालय से जोड़ा जाएगा। और जहां भी लागू हो, विशिष्ट तथ्यों की पहचान करना और ब्रीफिंग नोट्स और लिखित प्रस्तुतियाँ तैयार करना। वे सीआईटी (डीआर)/सीनियर द्वारा बताए गए विशिष्ट बिंदुओं पर अनुसंधान/अध्ययन भी करेंगे। डॉ। सीआईटी (डीआर) (संबंधित सलाहकार) शामिल होने के समय युवा पेशेवर से अपेक्षित डिलिवरेबल्स का एक संक्षिप्त अभिविन्यास प्रदान करेगा। चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल होंगे:</p> <p>(i) स्क्रीनिंग और,</p> <p>(ii) साक्षात्कार</p>
---	------------------	--

8	नौकरी का विवरण	युवा पेशेवरों को सूचीबद्ध मामलों की पेपरबुक का अध्ययन करने, मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए निर्णयों का विश्लेषण करने, विभाग के पक्ष में निर्णय निकालने और जहां भी लागू हो, विशिष्ट तथ्यों की पहचान करने और ब्रीफिंग नोट्स और लिखित प्रस्तुतियाँ तैयार करने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में सीएसआईटी (डीआर) या सीनियर डीआर के कार्यालय से जोड़ा जाएगा। वे सीआईटी (डीआर)/सीनियर द्वारा बताए गए विशिष्ट बिंदुओं पर अनुसंधान/अध्ययन भी करेंगे। डॉ. सीआईटी (डीआर) (संबंधित सलाहकार) शामिल होने के समय युवा पेशेवर से अपेक्षित डिलिवरेबल्स का एक संक्षिप्त अभिविन्यास प्रदान करेंगे।
9.	चयन प्रक्रिया	चयन प्रक्रिया में दो चरण शामिल होंगे: (i) स्क्रीनिंग और, (ii) साक्षात्कार

3. आवेदन जमा करने का तरीका (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन): ऑनलाइन आवेदन के लिए ईमेल पते पर भेजा जा सकता है: kolkata.dcit.hq.admin.vig@incometax.gov.in और ऑफ़लाइन के लिए, आवेदन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, आयकर के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आयकर भवन, पी-7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता - 700 069

4. व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों को उनके ई-मेल पते/स्पीड पोस्ट पर सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए या डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के समय, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए अपने बायोडाटा और प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

5. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10/09/2023 दोपहर 03 बजे तक है। अधूरे आवेदन और/या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: आवेदन प्रपत्र

युवा व्यावसायिक योजना के लिए आवेदन प्रपत्र

APPLICATION FORM FOR YOUNG PROFESSIONALS SCHEME

Past recent
passport sized
photograph
in the box.

1.	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	पिता/माता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	लिंग	
5.	राष्ट्रीयता Nationality	
6.	आवेदक का संपर्क विवरण (वर्तमान पोस्टल पता)	
7.	फोन/मोबाइल नं.	
8.	ई-मेल	

शिक्षा (आवश्यक)

9. शैक्षणिक योग्यता (विपरीत क्रम में, नवीनतम से प्रारंभ करते हुए)

क्र.सं..	डिग्री/	वर्ष/	विषय	विश्वविद्यालय संस्थान/	अंकों का % %	अंतर (यदि कोई हो)

10. व्यावसायिक योग्यता (विपरीत क्रम में, नवीनतम से शुरू)

क्र .सं.	डिग्री	वर्ष	विषय	विश्वविद्यालयसं/ स्थान	अंकों का %	अंतर (यदि कोई हो)

11. प्रासंगिक तकनीकी और अकादमिक प्रकाशनों की सूची (यदि आवश्यक हो तो और शीट जोड़ें)

क्र .सं.	डिग्री	वर्ष	विषय	विश्वविद्यालयसं/ स्थान	अंकों का %	अंतर (यदि कोई हो)

12. प्रासंगिक अनुभव (यदि आवश्यक हो तो और शीट जोड़ें)

क. अनुभव के कुल वर्षों की संख्या और संगठनों का नाम।

ख. पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार समान प्रकृति के कार्य किये गये।

ग. राष्ट्रीय निकायों के लिए काम करने का प्रासंगिक अनुभव।

घ. अंतरराष्ट्रीय निकायों के लिए काम करने का प्रासंगिक अनुभव।

ङ. हाथ में समान प्रकृति के कार्य और पूरा होने की अपेक्षित तारीख।

13. उपरोक्त के लिए आपकी उपयुक्तता का एक संक्षिप्त नोट 750 (यदि आवश्यक हो तो और शीट जोड़ें) ।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

मुझे पता है कि गलत बयानी या वास्तविक रूप से झूठी घोषणा के मामले में, यह मुझे लागू कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगा। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि अनुबंध पूरा होने से पहले किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है और/या अनुबंध रद्द कर दिया जा सकता है। कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध के बाद मुझे प्रदान किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र भी वापस लिया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

जगह:

हस्ताक्षर

तारीख:

गोपनीयता/गैर-प्रकटीकरण समझौता

1 सामान्य

आयकर विभाग के एक युवा पेशेवर के रूप में अब और इसके बाद मुझे मिलने वाले वजीफे को ध्यान में रखते हुए, मैं आयकर विभाग के सर्वोत्तम हित को आगे बढ़ाने के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित करूंगा। आयकर विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा कि

"एक कानूनी इकाई के रूप में आयकर विभाग के हितों के साथ टकराव, जिसमें बिना किसी सीमा के, इस समझौते द्वारा अपेक्षित कोई भी व्यावसायिक गतिविधि शामिल है"।

2. गैर-प्रकटीकरण खंड:-

क. कि मैं इसके द्वारा स्वीकार करता हूँ और समझता हूँ कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसे किसी भी मीडिया में आयकर विभाग से संबंधित और/या उसके कब्जे में सभी गोपनीय और/या मालिकाना जानकारी है, जो प्राप्त की जाती है, एक्सेस की जाती है, और/या आयकर विभाग के साथ मेरी संलग्नता के दौरान मेरे द्वारा उपयोग की गई सामग्री को मीडिया सहित, मेरी किसी भी इकाई के साथ साझा नहीं किया जाएगा या उस तक पहुंच नहीं दी जाएगी।

ख. गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण की रोकथाम से संबंधित सभी दायित्व और इस समझौते के तहत नोटिस प्रदान करने के दायित्व मुख्य समझौते की अवधि के लिए और इसकी समाप्ति या समाप्ति की तारीख से अनिश्चित काल के लिए भी प्रभावी होंगे, जैसा भी मामला हो।

3. निरपेक्ष स्वामीत्व /:

क) मैं एतद्वारा स्वीकार स्वीकार करता हूँ एवं समझता हूँ कि आयकर विभाग मेरे द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बिना किसी सीमा के, कॉन्सेप्ट्स, टेकनिक्स, प्रक्रियाएं, तरीके, क्लाइंट्स, लागत डेटा, विकास या प्रायोगिक कार्य वर्क इन प्रोग्रेस, ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ताओं इंटरनेट वेबसाइट्स या इ-कॉमर्स समाधान या पुस्तकें इत्यादि सहित गोपनीय

या तकनीकी सम्पदा वित्तीय, विपणन, आयकर विभाग की व्यवसायिक जानकारी का पूर्ण, अप्रतिबंधित और अनन्य स्वामी है ।

ख) मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं किसी भी तरह से यह प्रतिनिधित्व और/या दावा नहीं करूँगा कि इसमें स्वामित्व, असाइनमेंट या अन्यथा के रूप में मेरा कोई हित है।

ग) मैं स्वीकार करता हूँ कि इस घोषणा/समझौता एवं / या इसी प्रकृति की किसी और बाध्यता के अंतर्गत अगर मेरे द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन से आयकर विभाग को अपूरणीय क्षति होती है तो आयकर विभाग को सिव्युरिटी बॉण्ड को जमा करने की अनिवार्यता के बिना मुझे आयकर विभाग के कार्यालय से बिना लिविंग/चरित्र प्रमाण पत्र के निष्कासन, आयकर विभाग या संबद्ध क्रिया-कलापों में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट करने, कोई भी लंबित मानदेय स्थगित करने, उपयुक्त कानूनी कार्रवाई, अस्थाई प्रतिबंध आदेश, प्रारंभिक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा सहित भारत की किसी भी अदालत में असाधारण छूट होगी ।

4. अनुबंध का उल्लंघन:

मैं स्वीकार करता हूँ कि इस घोषणा/समझौता एवं / या इसी प्रकृति की किसी और बाध्यता के अंतर्गत अगर मेरे द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन से आयकर विभाग को अपूरणीय क्षति होती है तो आयकर विभाग को सिव्युरिटी बॉण्ड को जमा करने की अनिवार्यता के बिना मुझे आयकर विभाग के कार्यालय से बिना लिविंग/चरित्र प्रमाण पत्र के निष्कासन, आयकर विभाग या संबद्ध क्रिया-कलापों में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट करने, कोई भी लंबित मानदेय स्थगित करने, उपयुक्त कानूनी कार्रवाई, अस्थाई प्रतिबंध आदेश, प्रारंभिक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा सहित भारत की किसी भी अदालत में असाधारण छूट होगी ।

इस समझौते को पढ़कर एवं पूरी तरह से समझकर मैंने इस पर अपने नाम का हस्ताक्षर.....

आज 202..... के दिन किया है ।

युवा पेशेवर का नाम :

हस्ताक्षर :